

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 70 / 2026

कुलदीप } पि0 लादूराम जाति जाट निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी
विकास चौधरी } जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. चन्दोदेवी पत्नी बीरबलराम } जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला
2. लादूराम पुत्र बीरबलराम } हनुमानगढ़।
3. प्रेमा पत्नी गंगाराम पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. पानो देवी पत्नी केहरसिंह पुत्री बीरबलराम } जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील
5. मीरां पत्नी मोतीराम पुत्री बीरबलराम } नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. कमला पत्नी औमप्रकाश पुत्री बीरबलराम }
7. समेस्ता पत्नी घनश्याम पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 24/2/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री एम के गौड व प्रतिवादी वकील जीतासिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 1 एम.डी के खाता सं० 16/16 में प्रतिवादीया सं० 1 के नाम की आराजी के वादीगण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चक नं० 1 एम.डी के खाता सं० 16/16 मे से चन्दोदेवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।